न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मी नारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./68/18/टोंक (2018/00068)

विभागीय अपील द्वारा श्री रामफूल वर्मा तत्कालीन पटवारी तहसील टोडारायसिंह हाल निलंबित पटवारी तहसील उनियारा जिला टोंक विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर टोंक दिनांक 16–5–2018 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 14 के उपनियम (5) के अन्तर्गत सानुपातिक पेंशन पर अनिवार्य सेवानिवुति (Compulsory retirement on proportional pension) के दण्ड से दण्डित किया गया तथा एक अन्य आदेश दिनांक 26–8–2016 जिसके द्वारा अपचारी कार्मिक को सेवा से पृथक (Termination) के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री रामफूल वर्मा तत्कालीन पटवारी तहसील टोडारायसिंह हाल निलंबित पटवारी तहसील उनियारा जिला टोंक

निर्णय

दिनांकः– 23.07.2019

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, टोंक के आदेश दिनांक 16–05–2018 एवं दिनांक 26–8–2016 के विरूद्ध संयुक्त रूप से प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 4.02.2015 एवं 16.8.2011 को अलग–अलग आदेशों बाबत ज्ञापन मय आरोप पत्र जारी किये गये। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या–एक

तहसील टोडारायसिंह में पदस्थापित रहते समय तहसीलदार, टोडारायसिंह द्वारा आदेश दिनांक 12–3–2013 द्वारा पटवारी हलका खरेडा के साथ वसूली कार्य में सहयोग हेतु लगाया जाने पर आप द्वारा दिनांक 14–3–2013 से स्वेच्छिक रूप से अनुपस्थित हो गये तथा दिनांक 31–3–2013 तक स्वेच्छिक रूप से अनुपस्थित रहे।

आरोप संख्या–दो

तहसील टोडारायसिंह में पदस्थापित रहते समय आप दिनांक 9–4–2013 से 14–4–2013, 17–4–2013 से 21–4–2013, 24–4–2013 से 2–5–2013, 7–5–2013 से 9–5–2013, 13–5–2013 से 20–5–2013, 27–5–2013 से 31–5–2013, 23–7–2013 से 29–7–2013 एवं 16–12–2013 से 3–3–2014 तक स्वेच्छिक रूप से अनुपस्थित रहे। आपको तहसीलदार, टोडारायसिंह द्वारा अनुपस्थिति के सन्दर्भ में नोटिस देने पर आप द्वारा उसका भी समय पर प्रत्युत्तर नहीं दिया गया।

आरोप संख्या–तीन

तहसील टोडारायसिंह में पटवारी इन्दोकिया के पद पर पदस्थपित रहते समय आप पटवार मण्डल से दिनांक 1–8–2013 से दिनांक 18–8–2013 तक एवं दिनांक 22–8–2013 से 25–8–2014 तक स्वेच्छिक रूप से अनुपस्थित रहे।

जिला कलक्टर, टोंक के एक अन्य आदेश दिनांक 26–8–2016 में अपचारी कार्मिक को निम्न आरोप से आरोपित किया गया।

आरोप संख्या–एक

पटवार मण्डल रसूलपुरा तहसील उनियारा पर पदस्थापित रहने के दौरान दिनांक 28–7–2011 को पंचायत समिति अलीगढ़ में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में महिला पटवारी सुश्री दिनमणी सिंह पटवारी पटवार मण्डल काकोड़ द्वारा आपको नमस्कार किये जाने पर आप द्वारा सुश्री सिंह को आलिंगन करने की कोशिश की गई एवं शराब के नशे में सुश्री सिंह से अभद्रता व अश्लील हरकत की गई। मीटिंग हॉल के बाहर सुश्री सिंह को देखकर गाना गया, इस व्यवहार से सुश्री सिंह गहरे तनाव की स्थिति में है। कार्यस्थल पर शराब पीकर आने एवं महिला सहकर्मी के साथ अभद्रता एवं अशोभनीय व्यवहार करने का कृत्य किया गया है जो आचरण नियमों के विरूद्ध है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा निर्धारित अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तत्पश्चात जिला कलक्टर, टोंक द्वारा उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह को जांच अधिकारी एवं तहसीलदार, टोडारायसिंह को पैरोकार नियुक्त किया गया। अपचारी कर्मचारी द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर किसी भी आरोपों का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह

द्वारा श्री रामफूल वर्मा पटवारी पर आरोपित आरोप प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बयानात के आधार पर प्रमाणित होना पाये गये है। उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह ने अपने पत्र क्रमांक 162 दिनांक 27–1–2016 द्वारा जिला कलक्टर, टोंक को अन्तर्गत धारा 16 सीसीए के तहत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने पटवारी हलका पर लगाये गये आरोपों को पूर्णतया सिद्ध माना है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर जिला कलक्टर, टोंक ने आदेश पारित कर अपीलांट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 14 के उपनियम (5) के अन्तर्गत सानुपातिक पेंशन पर अनिवार्य सेवानिवृति (Compulsory retirement on proportional pension) के दण्ड से दण्डित किया गया तथा एक अन्य आदेश दिनांक 26–8–2016 जिसके द्वारा अपचारी कार्मिक को सेवा से पृथक (Termination) के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अपील दर्ज की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर, टोंक का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि जिला कलक्टर, टोंक का आदेश दिनांक 16–05–2018 एवं दिनांक 26–8–2016 सीसीए नियमों के नियम 16 के तहत निहित विधिक प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर जिला कलक्टर, टोंक से पैरावाईज टिप्पणी प्राप्त की गई जिसमें उनके द्वारा टिप्पणी अंकित कर कथन किया गया कि अपीलांट कार्य से स्वेच्छिक रूप से अनुपस्थित रहने तथा कार्यस्थल पर शराब का सेवन कर आने का आदी रहा है। गवाहों द्वारा बयान में कार्यस्थल एवं बहुउद्देशिय शिविर में भी शराब पीकर आना अंकित किया है शिकायत सही होने के आधार पर अपीलार्थी को आरोप पत्र दिया जाकर जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर जांच अधिकारी द्वारा दौरान जांच युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी को दिया गया दण्डादेश नियमों में दी गई प्रक्रिया अनुसार जारी किया गया है जो उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

मैंनें अपीलान्ट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, टोंक द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि अपचारी कार्मिक श्री रामफूल वर्मा तत्कालीन पटवारी तहसील टोडारायसिंह हाल निलंबित पटवारी तहसील उनियारा जिला टोंक को जिला कलक्टर, टोंक द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम

1958 के नियम 14 के उपनियम (5) के अन्तर्गत सानुपातिक पेंशन पर अनिवार्य सेवानिवृति (Compulsory retirement on proportional pension) के दण्ड से दण्डित किया गया तथा एक अन्य आदेश दिनांक 26–8–2016 जिसके द्वारा अपचारी कार्मिक को सेवा से पृथक (Termination) के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपचारी कार्मिक द्वारा जिला कलक्टर, टोंक के उक्त दोनों दण्डादेशों क्रमशः 16–05–2018 एवं दिनांक 26–8–2016 के विरूद्ध एक ही अपील संयुक्त रूप से प्रस्तुत की है जो नियमानुसार उचित नहीं है। जिला कलक्टर, टोंक द्वारा अपचारी कर्मचारी को दो अलग–अलग प्रकरणों में अलग–अलग आरोप पत्र जारी कर अलग–अलग दण्डादेशों से दण्डित किया गया है। अतः अपचारी कर्मचारी को दोनों दण्डादेशों के विरूद्ध अलग–अलग अपील करनी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अपील उक्त तकनीकी बिन्दु के आधार पर सारहीन होने से खारिज योग्य है। जिला कलक्टर, टोंक के आदेश दिनांक 16–05–2018 एवं दिनांक 26–8–2016 के विरूद्ध अपचारी कर्मचारी सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पृथक–पृथक अपील करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 16–05–2018 एवं दिनांक 26–8–2016 यथावत रखा जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को भी दी जावे।

(लक्ष्मी नारायण मीणा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर